

2019/00144

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा - पत्र

उनवान

इस्हाक अहमद बनाम रईस मोहम्मद

कसम मुकदमा नं. 223 वि. नं. 100/2019 सन

अभिभावक अपीलान्त श्री सलीहा फजोरी अभिभावक रैस्पॉन्डेंट श्री अलीक गौमल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

27-1-2021 पत्रावली कोर्ट केम्प कारा पेश हुई/अभिभावक गण
 उपस्थित/बहस हेतु समय-जाहा गमा/
 पत्रावली वाला कसम दिनांक 24-2-2021 का पेश है।

(महेन्द्र लोका)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

24-2-21 पत्रावली कोर्ट केम्प कारा पेश हुई/अभिभावक
 अपीलान्त अनुपस्थित/अभिभावक रैस्पॉन्डेंट
 उपस्थित/बहस हेतु समय-जाहा गमा/अन
 पत्रावली वाला कसम दिनांक 10-3-2021 का पेश है।

(महेन्द्र लोका)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

10-3-2021 पत्रावली कोर्ट केम्प कारा पेश हुई/अभिभावक
 अपीलान्त अनुपस्थित है/अभिभावक रैस्पॉन्डेंट
 उपस्थित है/अभिभावक अपीलान्त को बार-बार
 कसम देकर आकरने लगावाई गई कोर्ट की
 उपस्थित नहीं हुआ/अन/अपील अपीलान्त अदम
 हाजरी एवं अदम पेशी में रकारिज की जाती है/
 पत्रावली के साथ कुमार डीकर बाद गमील एवं
 तकमील दाखिल दफ्तर है।

(महेन्द्र लोका)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

अदम हाजरी



रईस
बाद जॉय सिविल इन्फर
पेक्षा हो।

S. D. M RAA
KOTA
8-4-19



न्यायालय राजस्व अपील एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी,
कोटा (राज0)

श्री अतीना ज्येष्ठे साहू
द्वारा पेश।

अपील संख्या - /2019

5945
रीडर एच
0 5-04-2019

इस्हाक अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद, आयु लगभग 61 वर्ष, जाति मुसलमान,
निवासी-काचरी, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

—वादी/अपीलान्त

बनाम

- ✓1- रईस मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, आयु 46 वर्ष, जाति मुसलमान
 - ✓2- इमरान पुत्र अनवर, आयु 30 वर्ष, जाति मुसलमान
 - ✓3- आरिफ पुत्र अनवर, आयु 25 वर्ष, जाति मुसलमान
- निवासीगण- काचरी, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए. बनाराजगी आदेश दिनांक
25.03.2019 न्यायालय श्री कृष्ण गोपाल जोजन, आर.ए.एस. उपखण्ड
अधिकारी, अटरू जिला बारां प्रकरण संख्या 54/2018
बचनवान इस्हाक अहमद बनाम रईस वगै0, धारा 212 आर.टी.ए.
आलोच्य आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज किया

मान्यवर,

अपीलान्त निम्न निवेदन करते हैं :-

✓ इस्हाक मोहम्मद